LOK SABHA

Saturday, April 27, 1963/Vaisakha 7, 1885 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 1963, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th April, 1963, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

STATEMENT BY MEMBER

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, २३–३–६३ को मैंने अपने वक्तव्य के दौरान में सदन के सामने यह रखा था कि मेरे पास एक डाकुमेंट हैजिस पर आडिटर का आब्जेक्शन नोट है कि वह पेमेंट श्री हुमायून कबिर से वसूल किया जाय, अब तक वसूल हुआ या नहीं उसकी फोटो कापी भी मैंने स्पीच के फौरन बाद ही हुमायून कबिर जी को दे दी। उन्होंने भी उसको देखा और उसका जवाब इस सदन में दिया, और उसी कागज की चर्चा उन्होंने इस सदन में की। यह ठीक है कि उस कापी के ऊपर जो नोट था वह आडिटर का नहींथा, वह उसके डिवीजनल आफिसर का था :

"The cost of the material may be recovered from Mr. Humayun Kabir."

अंग्रेजी न जानने की बिना पर मैंने उस को गलती से कह दिया था कि वह आडिटर का नोट है। यह गलती मैंने ही नहीं की, यह गलती तो मिनिस्टर साहब ने भी की। उन्होंने उसको देखा लेकिन उस वक्त यह जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने भाषण दिया तो उस वक्त जवाब में यह नहीं कहा कि यह आडिटर का नोट नहीं है। अपने रिप्लाई में उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया, हालांकि वह प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं, सारी बात है। उन्होंने उसको मुझ से ले लिया लेकिन इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया, न इसके जवाब में यह कहा कि यह आडिटर का नोट नहीं है बल्कि यह तो पर्चेज का कोई बिल है। यह जो आडिटर और डिवीजनल अफसर का अन्तर है यह तो मेरे अंग्रेजी न जानने की बिना पर हुआ, लेकिन यह नोट आडिटर का था या उसके डिवीजनल अफसर का था, इससे बुनियाद में कोई अन्तर नहीं हुआ। मैंने कहा था कि यह रकम अब तक वसूल हुई या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन जिस तारीख को नोट लिखा गया था और आफिसर का नोट था, उस तारीख तक यह वसूल नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकारी लेबोरेटरी है, उस के अन्दर अगर मिनिस्टर साहब अपना प्राइवेट काम करवायें .....

अध्यक्ष महोदय : अब यह बहस नहीं है, इस वक्त तो स्टेटमेंट का बहस है ।

श्री बागड़ी : स्टेटमेंट के ऊपर ही मैं आ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह सरकारी था .....

श्री बागड़ी : मैं यह कहता हूं कि यह बुनियाद तो माना है मिनिस्टर महोदय ने कि उन्होंने सरकारी लेबोरेटरी के अन्दर काम करवाया कार का । अब यह फर्ज कर लिया जाय कि यह ठीक है, अगर मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट सच मान लिया जाय तो इसमें तो सिर्फ यही है कि :

"Cost of the plates may be recovered."

वह तो सिर्फ प्लेट की कीमत है । उसमें जो लेबर लगी है गाड़ी ठीक करने के लिये उसका पैसा तो सरकारी खजाने से जाता है मजदूरी का । वह तो भ्रष्टाचार है । चाहे एक पैसे का हो चाहे दो आने का हो और चाहे सारे का हो, फर्क एक या दस आने का नहीं है, फर्क तो यह है कि नीति गलत है या नहीं । दरअसल प्राइवेट काम उस लेबोरेटरी से करवाया जाना चाहिये या नहीं, बुनियादी बात यह है ।

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि मिनिस्टर महोदय ने कहा है कि यह रकम उन्होंने क्रास्ड चैक के जरिये दी है और नवम्बर की उस रकम की रसीद जनवरी, १९६१ में मिली है । मैंने कोशिश की कि जहां वह पैसा जमा किया गया है उस बैंक के एकाउंट को जा कर देख सकूं, लेकिन मैं पता नहीं लगा सका । मुझे अभी इस बात का शक है कि आया वह रकम वहां पर जमा हुई है या नहीं ।

Shri Tyagi (Dehra Dun): What is it? (*Interruptions*).

श्री बागड़ी : मेरे कहने का मतलब यह है कि जनवरी में यह रकम जमा हुई या नहीं यह उस बैंक के रेकार्ड्स को देखने से सही पता लग सकता है । इसके बारे में यह बात तो ठीक है कि अंग्रेजी न जानने की बिना पर मैंने यह बात गलत कही कि वह नोट आडिटर का था, बल्कि जो उसके आफिसर हैं उनका नोट था । अगर आडिटर और अफसर के ओहदे से कोई फर्क आ जाता है तो उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं, वर्ना जो गलती मैंने की वही गलती माननीय मंत्री जी ने भी की ।

Mr. Speaker: Now, it is a different thing altogether.

ऐपोलाइज भी माननीय सदस्य करते हैं और इल्जाम भी पेश करना चाहते हैं, शकूक भी जाहिर करते हैं । एक चीज मैंने उस दिन भी कही थी, बाकी चीजों से मुझे ताल्लुक नहीं क्योंकि मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि क्रास्ड चैक है और सर्टिफिकेट भी शामिल किया कि क्रास्ड चैक का पेमेंट भी उस दफ्तर ने ऐकनालेज किया । सब चीजें शामिल हैं अगर बागड़ी साहब तहकीकात करते तो देख लेते जो सारे कागज दाखिल हुए थे । मगर जो बात मुझे तकलीफ दे रही थी वह यह थी कि उन के हाथ में, उनके कहने के मुताबिक, साफ तौर पर डिमान्ड थी नेशनल लेबोरेटरी की भेजी हुई । ऐसी हालत में हम यकीन कर सकते हैं अपने मन में कि उनको इल्म होगा, जब एक मैम्बर एक डाकूमेंट हाथ में लिये हुए सदन को एड्रेस कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि क्या डाकूमेंट है. और अगर नहीं मालूम था तो उन को जानना चाहिये था कि वे सदन के सामने क्या रख रहे हैं । यह उन का फर्ज था । उन्होंने इस को जानते हुए कि वह नैशनल फिजिकल लेबोरेटरीज का पर्चेज रिक्विजिशन फार्म था.

यह कहा कि मेरे पास आडिट का रेकार्ड है उस को मैं सदन के सामने रख रहा हूं। यहां बैटरी प्लेट्स बनती हैं और उन प्लेटों को मिनिस्टर साहब ने मंगवाया अपने घर, लेकिन उनके वास्ते रकम नहीं दी गई। इसके बाद आडिटर साहब ने नोट दिया कि यह रकम श्री हुमायून् कबिर से वसूल की जाय। साफ चीज है कि हाथ में डाकुमेंट होते हुए कहा गया कि जो चीजें बनवाई गई थीं उनकी रकम दाखिल करने की मियाद ६० दिन के अंदर थी, लेकिन वह नहीं दी गई। इसके अलावा बाकी किसी चीज में मैं दखल नहीं देता। आम तौर पर जब स्टेटमेंट का झगड़ा आता है तो दोनों स्टेटमेंट्स रख दिये जाते हैं। मगर इस तरह से सदन के सामने यह बतलाना और असर देना कि मेरे पास आडिट नोट है, आडिटर का यह आब्जेक्शन है, ऐसी हालत में जब कि उनके पास कोई और चीज हो, यह बहुत काबिले एतराज है। इस पर आप ने कुछ लफ्जों में कहा कि मुझे अफसोस है। अगर वह सदन से माफी मांगें तो मैं कुछ और नहीं करना चाहता, न कुछ करने की मेरी ख्वाहिश है। हम हर एक मेम्बर साहब के लिये यह ऐतबार करते हैं कि जब वे बोलते हैं तो हर एक को यकीन होता है कि जो कुछ वह कह रहे वह अपने इल्म से भी कह रहे हैं, तहकीकात के बाद कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरह से कोई सदस्य अपने हाथ में कुछ और होते हुए दूसरा कोई असर दें तो हाउस की डिगनिटी जाती रहेगी और यह नहीं होना चाहिये।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): If I might say so, you have given your verdict, and you have rebuked him and he has admitted his fault, and he has apologised and I would now request that his statement should be accepted as a full apology.

अध्यक्ष महोदय : उनको हाउस से ऐपोलोजाइज करना चाहिये कि यह मुझ से गलती हुई और मैं माफी चाहता हूं।

Shri Kapur Singh: This is my suggestion, that this statement should be taken as an apology and he should not be allowed to....

Mr. Speaker: He ought to highlight it. He ought to say it in so many words "यह मुझ से गलती हुई, मैं सदन से माफी चाहता हूं।"

Shri Kapur Singh: I merely wanted to submit that the way he is accustomed to speak he might make a further mess of things. That is only my suggestion.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Shri Bagri has actually said that it was a mistake on his part and he has expressed regret that he had said so earlier.

अध्यक्ष महोदय : अब वह यह कहदें, इतना ही। बाकी चीजों को छोड़ दें, लेकिन वह तो इल्जाम साथ लगाते हैं।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूं, बाकी चीजें मैं छोड़ता हूं।

श्री बागड़ी : मैं इसी बात पर आप से निवेदन करता हूं कि मैंने कोई बात जानकर नहीं कही थी, अंग्रेजी के अज्ञान की बिना पर यह चीज कही गई, जिस के बारे में मालूम नहीं है। मैंने जान कर गलती नहीं, अनजानपन में मैंने बात कही थी। इसके लिये मैं अपनी गलती महसूस करता हूं, लेकिन दोष तो मंत्री महोदय का भी है कि वह जानते थे . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अब सदन से माफी चाहते हैं या नहीं?

श्री बागड़ी : हाथ जोड़ कर मांग? मैंने अंग्रेजी के अज्ञान की बिना पर ऐसा किया। मैं यह बात मानता हूं कि वह

आडिटर की रिपोर्ट नहीं थी, वह डिवीजनल आफिसर का नोट था। लेकिन जो गलती अंग्रेजी न जानने की बिना पर हुई उस गलती को तो मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप गलती तो मानते है माफी भी चाहते हैं या नहीं ? अब आप बहस कर रहे हैं, बात को खत्म नहीं करते। आप सिर्फ यह कहते हैं कि गलती मुझ से हुई।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय मेरी नीयत तो खराब नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : आप बहस कर रहे हैं। मैंने आप से सिर्फ एक सवाल किया है।

श्री बागड़ी : यह अंग्रेजी भाषा का दोष है। इस बिना पर मुझ से गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूं।

Mr. Speaker: The matter is closed here.

11.10 hrs.

POINT RE: VIVIAN BOSE COMMISSION REPORT

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have asked your permission to raise a matter concerning the Vivian Bose Commission Report. A report has appeared in the *Statesman* today to the effect that "top-level consultations began here today on the Vivian Bose Commission's Report on the Dalmia-Jain concerns". This is based on the report that the Attorney-General and Shri Vishwanatha Sastri have submitted.

What worries me is this. I have been saying in this House that this report should be made available to the Members of this House before this House discusses the Vivian Bose Commission's Report. It is stated in the press report to which I have just referred:

> "These discussions are likely to be concluded within the next two or three days so as to enable the Government to make an early announcement on what it proposes to do about the alleged malpractices revealed by the Bose Commission which started functioning more than five years ago".

My fear is only this. The report on the Vivian Bose Commission's report has already been received by Government. That is why I wanted to raise this matter yesterday. Government are taking a decision thereon. According to the press report:

> "The Attorney-General and Mr. Sastri are believed to have reported that the alleged malpractices revealed by the Bose Commission were more within the purview of commercial morality than commercial law."

I want that Government should not take any decision on this Report unless it is fully discussed in this House along with the Report of the Attorney-General. Moreover, after it has come up....

Mr. Speaker: Order, order. I have followed him.

Shri S. M. Banerjee: I only say this House should not be reduced to the position of having to discuss it *post mortem*.

Mr. Speaker: Order, order. There is no question of *post mortem*. That Report is coming up here for discussion. He only wants....

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पानी के संकट के बारे में...

Mr. Speaker: Order, order. The hon. Member is intentionally obstructing the proceedings. Shri Banerjee